

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 80/2007

दायरा तिथि : 15.05.2017

निर्णय तिथि : 3-9-2019

वादीगण :-

1. दिगविजयसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंहजी
2. विक्रमादित्यसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंहजी दोनो ही जाति के राजपुत निवासीगण वरकाणा तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

ब न अ म

प्रतिवादी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :-

1. श्री भरत जे. राठौड
2. तहसीलदार, बाली

अभिभाषक वादीगण की ओर से
पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय : :

दिनांक : 3-9-2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादी पेश कर ग्राम फालनागांव तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 998, 1034 रकबा क्रमशः 1.06 हैक्टर, 1.08 हैक्टर कुल रकबा 2.14 हैक्टर किस्म बरानी दोगम का खातेदार इस आधार पर घोषित किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार चुनाराम पुत्र दलाराम कौम कुम्हार रहे हैं, जिनके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20.08.1990 के द्वारा अपने हकूक वादीगण के पक्ष में वसीयत किये, वसीयतकर्ता चुनाराम का स्वर्गवास दिनांक 11.12.2000 को हो चुका है। जिससे वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी की मांग की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2004 को खारिज किया जाने से वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील में की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सं 53/2004 अनवान दिगविजयसिंह वगैरा बनाम सरकार दिनांक 27.10.2006 को निर्णित करते हुये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि खसरा नंबरा 998, 1034 रकबा 2.14 हैक्टर भूमि के बारे में पुनः पक्षकारान् को सुनकर यथोचित साक्ष्य लेकर नये सिरे से निर्णय किया जावे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय से प्रकरण प्रतिप्रेषण से प्राप्त होने पर पुनः इस न्यायालय में सुनवाई पर लिया गया, तथा वादीगण के अधिवक्ता को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्देशानुसार अपने साक्ष्य/सबूत प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। वादी पक्ष को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुती के लिये दिनांक 27.09.2011 से दिनांक 26.02.2018 की कालावधि में कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजूद वादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दिनांक 26.02.2018 को वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पुर्व में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो को ही बयान मानते हुये साक्ष्य खण्डन का अधिकार सुरक्षित रखते हुये अपनी साक्ष्य बंद की। प्रतिवादी पक्ष को भी साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से दिनांक 06.08.2019 को प्रतिवादी पैरोकार सरकार की साक्ष्य का अवसर भी बंद करते हुये प्रकरण को बहस के लिये रखा गया।

दिनांक 19.08.2019 को उभय पक्ष वकूलाय की बहस सुनी गई। विद्ववान् वकील वादी श्री भरत जे. राठौड ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि चुनाराम पुत्र दलाराम कौम कुम्हार ने अपने खातेदारी भूमि फालनागांव के खसरा नंबर 998, 1034 कुल रकबा 2.14 हैक्टर का अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में वसीयत किया, जिस वसीयतनामा को दिनांक 20.08.1990 को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, वसीयतकर्ता चुनाराम का स्वर्गवास दिनांक 11.12.2000 को हो चुका है, माफिक वसीयतनामा वादीगण ने अपने नाम इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी को आवेदन किया, परन्तु नामान्तरकरण वसीयतनामा के आधार पर नहीं किये जाने से उक्त वाद पेश किया हैं। वसीयतनामा रजिस्टर्ड है तथा गवाह विक्रमादित्यसिंह P.W.-01 एवं गवाह अशोककुमार P.W.-02 तथा गवाह बाबुलाल P.W.-03 ने भी अपने बयानों में इस तथ्य की पुष्टि की है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे वादी वादी स्वीकार किये जाने की दलील दी। इसके विपरीत प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादी द्वारा दिये नोटिस में वादी ने एक तरफ खातेदार की मृत्यु का फौतेदगी नामान्तरकरण भरने की मांग की एवं दूसरी ओर वसीयतनामा अनुसार नामान्तरकरण की मांग की गई है, पेज लगातार...02



34 - खण्ड अधिकारी, बाली

फौतेदगी एवं वसीयतनामा के नामान्तरकरण अलग-अलग-अलग होते हैं, फौतेदगी नामान्तरकरण में खातेदार के विधिक उत्तराधिकारीगण के पक्ष में नामान्तरकरण होता है। इस प्रकार दोनों मांग विरोधामापी होने से वाद वादी पक्ष खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के अंत में प्रतिवादी परोकार ने यह आपत्ति उठाई कि वादीगण ने मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारीगण को प्रतिवादी नहीं बनाया, जो प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार थे, इसके अभाव में भी वाद वादीगण खारिज करने की दलील दी गई।

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. आया दिनांक 20.08.1990 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा के मृत चुनाराम ने वादीगण के पक्ष में सरहद फालनागाँव में स्थित खसरा नंबर 998, 1034 रकबा क्रमशः 1.06 हैक्टर, 1.08 हैक्टर कुल रकबा 2.14 हैक्टर किस्म बरानी दायम की वसीयत की, जिसकी खातेदारी घोषणा वादीगण पाने के अधिकारी है ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य वसीयतनामा दिनांक 20.08.1990 के अवलोकन से जाहिर हैं कि चुनाराम द्वारा अपनी अन्य अचल सम्पत्ति के साथ फालना गाँव स्थित आराजी खसरा नंबर 998 व 1034 कुल रकबा 2.14 हैक्टर का वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया, अन्य सम्पत्ति मकान अपनी दोहिती को दिया गया। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार खसरा नंबर 998 व 1034 कुल रकबा 2.14 हैक्टर भूमि का वसीयत वादीगण के पक्ष में किया जाना दर्शित हैं। मुख्य वाद बिन्दु यह हैं कि आया उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी पाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं ? इस संबंध में परोकार सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति की ओर देखा तो परोकार सरकार की यह आपत्ति की हितबद्ध लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया सही प्रतीत होती है, इसके साथ ही विधिक प्रावधानों अनुसार स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत की जा सकती हैं, उक्त प्रकरण में न तो वसीयतनामा की ईबारत में सम्पत्ति स्व अर्जित होने का अंकन हैं एवं न ही वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित आराजी को स्व0. चुनाराम की स्व अर्जित सम्पत्ति बताया गया हैं। वादीगण द्वारा साक्ष्य में जो गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से गवाह बाबुलाल ने तो खसरा नंबर 293, 294, 318, 322, 324, 437, 435, 319, 320, 432, 436 में चुनाराम का हिस्सा वसीयत करना बताया हैं, खसरा नंबर 998 व 1034 के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया। अन्य स्वतंत्र गवाह अशोककुमार जो टंकणकर्ता हैं, ने भी अपने बयानों में खसरा नंबरों बाबत् कुछ नहीं कहा हैं। लिहाजा वसीयतनामा के आधार पर वादीगण द्वारा चाही जा रही खातेदारी घोषणा की मांग अस्वीकार की जाती हैं। जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादीगण ने मृतक चुनाराम के भूमि स्व0. अर्जित होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हैं व वसीयतनामा अंतिम होने का दावा पेश नहीं किया हैं। जिससे वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीगण का था, उक्त तनकी बाबत् यद्यपि खुलासा तनकी संख्या-01 में किया जा चुका है, परन्तु जहाँ तक स्वअर्जित भूमि होने के प्रमाण का प्रश्न हैं, वादीगण द्वारा इस बाबत् प्रमाण पेश नहीं किया गया हैं, साथ ही उक्त वसीयतनामा अंतिम रूप से किया गया, ऐसा भी दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।


प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को उपरोक्तानुसार निर्णय के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने के लिये प्रकरण रिमांड से प्राप्त होने के पश्चात् पुनः सुनवाई में ऐसा कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो यह प्रमाणित करे कि वादग्रस्त भूमि फालनागाँव के खसरस नंबर 998 व 1034 स्व0 चुनाराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है, इसके साथ ही चुनाराम की पुत्रियों को न तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया एवं न ही उन्हें मौखिक साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।



// 03 //


राजस्व वाद संख्या 80/2007 अनवान दिगविजयसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तनकी संख्या-01 व 02 वादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से ग्राम फालनागांव में स्थित भूमि
खसरा नंबर 998, 1034 कुल खसरा-02 कुल रकबा 2.14 हैक्टर के संबध में वादीगण द्वारा
प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता
हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस

पदेन सहायक कलक्टर एवं
39 - उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 3-9-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


पदेन सहायक कलक्टर एवं
39 - उपखण्ड अधिकारी, बाली



डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहाक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
जलास डॉ. भास्कर विश्णोई (आर.ए.एस.)

वादीगण :-

1. दिगविजयसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंहजी
2. विक्रमादित्यसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंहजी दोनो ही जाति के राजपुत
निवासीगण वरकाणा तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

ब न अ म

प्रतिवादी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण सं० 80/2007
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष वकील वादी एवं प्रतिवादी परोकार सरकार मिनजानिव मुद्ई व मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिगा जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि तनकी संख्या-01 व 02 वादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से ग्राम फालनागांव में स्थित भूमि खसरा नंबर 998, 1034 कुल खसरा-02 कुल रकबा 2.14 हैक्टर के संबध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।
अब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3-9-2019 को जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

